मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 866/1161/2008/42/(2) भोपाल, दिनांक ~~मई~~ 08.
5-6-08

प्रति,

संचालक
प्रशिक्षण
म0प्र0 जबलपुर

(2) संचालक
तकनीकी शिक्षा
म0प्र0भोपाल.

विषयः- प्रत्येक जिले में एकल खिड़की के माध्यम से निःशक्तजन को सुविधाएं उपलब्ध कराने बावत ।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्र0एफ 3-39/08/26-2 दिनांक 16-5-08 की छायाप्रति संलग्न है।

(2) संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशानुसार पालन कर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार.

4/6/08
(चन्द्रा दुबे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

III
समस्त संस्थाओ एवं website पर प्रयोजन हेतु प्रसारित हो.
5/6

(2)
5/6/08

10

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 3-39/2008/26-2 भोपाल,दिनांक 16/5/2008

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– प्रत्येक जिले में एकल खिड़की के माध्यम से निःशक्तजन को सुविधाएँ उपलब्ध कराने बाबत ।

––0–––

दिनांक 29–4–2008 को निःशक्तजन के सशक्तिकरण हेतु पंचायत के आयोजन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नानुसार घोषणा की गई है–

- **एकल खिड़की के माध्यम से सभी सुविधायें निःशक्तजन को प्राप्त हों, इस संबंध में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रशासन के नियंत्रण में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से एकल खिड़की प्रणाली शुरू की जावेगी ।**
- **माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को प्रातः 11.00 से 12.00 बजे तक जिले के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहकर निःशक्तजन की समस्याओं का निराकरण करेंगे । कार्य की जानकारी सामाजिक न्याय के अधिकारी जिला कलेक्टर को उसी दिन सौंपेगे ।**

भारत सरकार/म.प्र.शासन द्वारा संचालित जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार एकल खिड़की प्रणाली प्रारम्भ की जाये। जिसमें निःशक्तजन के मार्गदर्शन तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समुचित व्यवस्था की जाये।

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को समय 11.00 बजे से 12.00 बजे तक जिले के संबंधित अधिकारी उपस्थित होकर निःशक्तजन की समस्याओं को सुनेंगे तथा उनका निराकरण करेंगे। इस हेतु निम्न 20 विभागों के अधिकारी आवश्यक रूप से उपस्थित रहे :–

1— चिकित्सा शिक्षा विभाग
2— लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3— जिला प्रशासन
4— नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
5— पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6— विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
7— वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
8— उच्च शिक्षा विभाग
9— स्कूल शिक्षा विभाग
10— वित्त विभाग
11— तकनीकी शिक्षा विभाग
12— महिला एवं बाल विकास विभाग
13— लोक निर्माण विभाग
14— जनसम्पर्क विभाग
15— राजस्व विभाग
16— अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग
17— परिवहन विभाग
18— गृह विभाग
19— सहकारिता विभाग
20— श्रम विभाग

संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय दिन में विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त प्रकरणों और उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी उसी दिन संबंधित जिला कलेक्टर को सौंपेंगे जो इसका मासिक प्रतिवेदन आगामी माह की 10 तारीख तक स्वयं अपने हस्ताक्षर से आयुक्त, सामाजिक न्याय, म.प्र. को भेजेंगे।

(आर.एन.बैरवा)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

12

पृ.क्रमांक एफ 3-39/2008/26-2 भोपाल,दिनांक 16/5/2008

प्रतिलिपिः–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/वित्त विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग/जनसम्पर्क विभाग/राजस्व विभाग/ अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग/परिवहन विभाग/ गृह विभाग/सहकारिता विभाग/श्रम विभाग,मध्यप्रदेश।

2– आयुक्त,सामाजिक न्याय,1250 तुलसी नगर,भोपाल,म.प्र.

3– समस्त संभागीय आयुक्त,मध्यप्रदेश।

4– प्रभारी निदेशक,क्षेत्रीय विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र, एस.ओ.एस.बालग्राम के पास पिपलानी,खजूरीकला, भोपाल ।

5– समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,सामाजिक न्याय,मध्यप्रदेश।

6– समस्त जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र,मध्यप्रदेश।

16/5/08

(आर.आर.अहिरवार)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

(11)